## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक** रिव्यु 2436–पीबीआर/15 **जिला** छतरपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26–8–2015 | आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–2–15 का अवलोकन किया गया। म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :–<br>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण<br>आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं बतलाई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख परिलक्षित त्रुटि ही बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निकाले गये निष्कर्षों को अवैध ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।<br>**( मनोज गोयल )**<br>अध्यक्ष | |

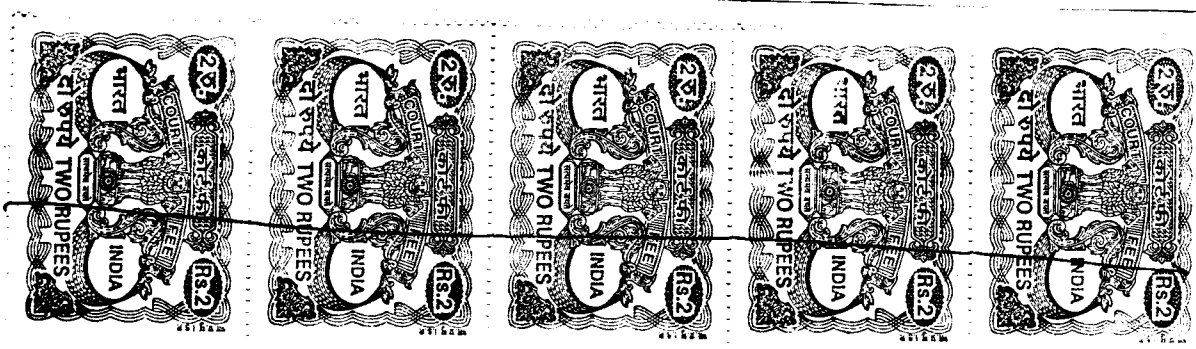

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

## ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक /15–16/पुर्नावलोकन याचिका

बुद्दा एवं अन्य.....आवेदकगण

विरुद्ध

शिब्बू .....अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 52 मध्यप्रदेश
भू–राजस्व संहिता वास्ते स्थगन